न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांकः कोर्ट / 2019 / 2457 दिनांक 16-12-2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 121/19

तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक 2608 दिनांक 2-12-2019 के संलग्न प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरोही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवशयक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । As Approve

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

T.S. प्र. कृ. ही
हल्का शॉब

सेवामें

श्रीमान तहसीलदार साहब
सिरोही

ता 15-10-2019

विषय :- मेरी खातेदारी भूमि हिस्से की शुद्धि करने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मौजा - मंडवाड़ा में मेरी पुश्तैनी खातेदारी ग्राम - मंडवाड़ा में आई हुई है जिसके वर्तमान खाता नं 353 है तथा खसरा नंबर 393 है। इस जमाबंदी में सेटीगेशन जमाबंदी अपडेट होने से पूर्व मेरे भतीज रमेश पुत्र ताराजी, मेरी माताजी स्व. मीरो पत्नी स्व. हीरा तथा मेरा स्वयं का नाम नारायण लाल पुत्र हीरा जी शामिल संयुक्त खातेदारों के नाम थे तथा उसमें मेरा, मेरी माताजी व मेरे भतीज तीनों का हिस्सा बराबर था परंतु सेटीगेशन जमाबंदी अपडेट करते समय तकनीकी भूल से हमारे हिस्से गलत दर्ज हो गए। मेरे भतीज रमेश हि. 1/12 तथा मेरा व मेरी माताजी मीरो पत्नी हीरा का हि. 1/24 - 1/24 दर्ज किया गया है जो कि सही नहीं है क्योंकि हमारे तीनों के हिस्से नियमानुसार बराबर होने चाहिए। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि आप हमारे हिस्से की शुद्धि करने का आदेश फरमावें ताकि हमें हमारा वास्तविक हक मिल सके।

नारायण लाल हीराजी
15-10-2019
भवदीय
9414533160

LR
15/x/19

पटवारी जाँच की report

UK
16.10.19

राजस्थान - सरकार
कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोही

क्रमांक / भू.अ. / 2019 / 2128 दिनांक 16-10-19

मूल ही पटवारी हल्का 303 को भेजकर लेख है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुराने एवं नये रेकर्ड से जाँच कर जाँच रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करते हुए पेश करें।

तहसीलदार (भू०अ०) सिरोही

LOR
12/12/19

मूल ही श्रीमान जी को लौटाकर निवेदन है कि आपके आदेश की पालना में मौजा ऊड (मंडवाड़ा) के खाता नं. 343 के नए व पुराने रेकर्ड से मिलान किया गया वक्त मिलान पाया गया कि उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता हीराजी का 1/6 हिस्सा है। जिसमें हीराजी के तीन वारिसदार है- मीरो (पत्नी) तथा नारायण व तारा (पुत्र) इनमे ताराजी की मृत्यु हो चुकी है जिनकी जगह उनके पुत्र रमेश का नाम दर्ज है।

इस खातेदारी के नियमानुसार हिस्से इस प्रकार होने चाहिए- (1) मीरो पत्नी हीरा 1/18

(2) रमेश पुत्र ताराजी 1/18

(3) नारायण पुत्र हीरा 1/18

परन्तु सेटेलमेंट जमाबंदी में ये हिस्से गलत दर्ज हो गए जो इस प्रकार है।

(1) मीरो पत्नी हीरा 1/24

(2) नारायण पुत्र हीरा 1/24

(3) रमेश पुत्र ताराजी 1/12

अतः इनकी हिस्सेदारी में शुद्धीकरण किया जाना उचित है। उचित कार्यवाही हेतु पालना रिपोर्ट पेश है।

(हस्ताक्षर) 8/11/19

पटवारी (भू० अ०) ऊड
पटवार मण्डल- ऊड
तह० व जिला- सिरोही (राज०)

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोही

क्रमांक/भू०अ०/2019/2608 दिनांक 02/11/19

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सिरोही को पेश कर निवेदन है कि पटवारी हल्का ऊड की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित शुद्धि पत्र अनुसार हिस्से दुरुस्त होने चाहिए। अतः खाते हिस्सा दुरुस्ती की कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न सादर पेश है।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू०अ०) सिरोही

LR
(हस्ताक्षर)
14/11/19

1769
5/11/19

1736
12/12/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 13:33:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: